

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला उदयपुर

प्रार्थी :- श्री हीरा

विपक्षी :- श्री अमरचन्द

किस्म मुकदमा - 128 भू.रा.अधि.

पत्रावली संख्या : 97/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 07.06.2023</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प मोरठ में पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी सं. 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे हैं। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के प्रार्थी खातेदार है, विपक्षी प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी खातेदार है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य विवाद बना रहता है। इसलिये प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी है एवं प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमाज्ञान करा पत्थरगढी कराने का पुरा अधिकार है। विपक्षी सं. 1 द्वारा बावजूद सूचना उपस्थित होकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया, इससे भी प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को बल मिलता है। सीमा को लेकर पक्षकारों के मध्य विवाद है जो कि सीमाज्ञान होकर पत्थरगढी होने के पश्चात ही सुलझ सकता है। ऐसी स्थिति में विवाद समाप्ति के लिये प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा सनवाड पटवार हल्का सनवाड की आराजी नम्बर 1974, 2640, 6148/210, 6160/909, 6198/1959, 6200/1960, 6202/1966, 6304/3777, 837, 838, 839 कित्ता 11 रकबा 6.1432 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार मावली को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थी अदा करेगें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(श्रीकान्त व्यास) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

